

ख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)32 / 76-खण्ड-5-2839-2841
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

प्रेषक :

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

प्रेषित :

उप निदेशक,
जिला सैनिक कल्याण सोलन,
जिला सोलन हिमाचल प्रदेश
दिनांक 19.05.2016, शिमला-171009

विषय : जिला सैनिक कल्याण सोलन की विभिन्न निधियों के लेखाओं के अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन बारे

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जिला सैनिक कल्याण सोलन की विशेष निधि, विश्राम गृह निधि सोलन, विश्राम गृह निधि परवाणु तथा झण्डा दिवस निधि के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के लेखाओं के अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। इन अंकक्षण प्रतिवेदनों पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
हस्ता/-
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

संलग्न : यथोपरि

पृष्ठांकन संख्या :- यथोपरि- दिनांक, शिमला-1710009

प्रतिलिपि :-

- (1) निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण, निदेशालय हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश
- (2) सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002
- (3) जिलाधीश सोलन, जिला सोलन को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

हस्ता/-
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

**जिला सैनिक कल्याण सोलन की विशेष निधि के लेखाओं का लेखा परीक्षा
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 4/2013 से 3/2015

भाग—एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। अतः अनिस्तांतरित अनुष्ठेदों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए अन्यथा अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। गत अवधि के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1997

- | | | |
|---|--------|----------|
| 1 | पैरा 4 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6 | अनिर्णीत |

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/2003

- | | | |
|---|--------|---------------|
| 1 | पैरा 9 | अंशतः निर्णीत |
|---|--------|---------------|

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

- | | | |
|---|--------|----------|
| 1 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 8 | अनिर्णीत |

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2011

- | | | |
|---|--------|----------|
| 1 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
|---|--------|----------|

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

- | | | | |
|---|--------|----------|--|
| 1 | पैरा 3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क जमा करने पर पैरा समाप्त) |
| 2 | पैरा 4 | निर्णीत | (पैरा वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित है तथा पुनः प्रारूपित किया गया है) |
| 3 | पैरा 5 | अनिर्णीत | |

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन की विशेष निधि के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 9/2013 और 6/2014 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए 1/2014 तथा 7/2014 का चयन किया गया। इस अंकेक्षण

प्रतिवेदन को संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं है।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्था में निम्न आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहे।

पदाधिकारी का नाम	अवधि
श्री एससी सकलानी	4/2013 से 3/2015

3 अंकेक्षण शुल्क

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन की विशेष निधि के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹2000 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 116, दिनांक 23.11.2015 द्वारा उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन द्वारा प्रस्तुत संस्थान के विश्राम गृह निधि की अवधि 4/2013 से 3/2015 से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट-“क”, पृष्ठ संख्या 9 से 14 तक संलग्न) निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-“क” पर भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	117091.06	50000.00	5021.00	172112.06	4940.00	167172.06
2014-15	167172.06	133000.00	6986.00	307158.06	131955.00	175203.06

5 बैंक समाधान विवरण

संस्थान द्वारा परिशिष्ट-“ख” पर उपलब्ध करवाई गई बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है।

दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही के अनुसार शेष	—	175203.06
दिनांक 31.3.2015 को बैंक (बचत खाते) के अनुसार शेष	—	—
(परिशिष्ट-“ख” पृष्ठ संख्या 13 व 14 पर संलग्न)		

योग ₹175203.06

6 निवेश

(क) संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान परिशिष्ट-“ख” (पृष्ठ संख्या 13) पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी अनुसार सावधि जमा में राशि निवेश नहीं की थी।

(ख) उचित वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण अतिरिक्त ब्याज की ₹12839 की आय से वंचित होना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विशेष फण्ड के बचत खाते में अध्याधिक राशि शेष पड़ी थी। यदि इस राशि को समय-समय पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता तो अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती। अगर वर्ष के अन्तिम शेषों के औसतन 75 प्रतिशत भाग को जरूरत अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त ब्याज की ₹12839 आय प्राप्त की जा सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके संस्थान में एकत्रित अधिकतम राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पर पूर्व भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सके तथा सरप्लस फण्ड का निवेश करते समय हि0प्र0 सरकार की पत्र संख्या फिन: आई0एफ0(ए)1-68/91-V, फाइनेंस डिपार्टमेंट (आई0एफ0) दिनांक, शिमला-171002, 17.4.2014 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	वर्ष	31 मार्च को बचत खाते के अनुसार अन्तिम शेष ₹ (1)	स्तम्भ (1) में दर्शाई गई राशियों का 75 प्रतिशत भाग जोकि सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था।	5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की हानि ₹ (लगभग)
1	2013-14	167172.06	125379	6269
2	2014-15	175203.06	131402	6570
कुल योग ₹12839				

7 छात्रवृत्ति की ₹1800 का भुगतान करने बारे

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि कुमारी किरण ठाकुर को माह 1/2014 में ₹1800 छात्रवृत्ति की ₹1800 का भुगतान किया था, जोकि Ph.D की छात्रा थी, परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार, सैनिक कल्याण विभाग की पत्र संख्या: 12-1 34/2001-सै0क0वि0/3439, दिनांक 11.9.2002 में Ph.D के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है। अतः इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹1800 की वसूली उपयुक्त स्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 टर्मिनल बेनिफिट से सम्बन्धित किए गए ₹106200 के भुगतान बारे

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र(फाइल) संख्या: SWD(E) 2-7/2011, दिनांक 31.1.2014 परिशिष्ट-“ग” में दिए गए निर्देशों

के अनुसार श्रीमति कमला देवी एवं इंदिरा देवी को माह 7/2014 में ₹55800 तथा 50400 का ग्रेजुटी का (Grduity) के रूप में भुगतान किया गया था। उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवाओं के लिए एक माह की पे का (अधिकतम 15 माह के लिए) दिए जाने का प्रावधान है, परन्तु संस्था द्वारा अनुरक्षित ऐसा कोई भी अभिलेख अवलोकन हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में श्रीमति कमला देवी ने 1.7.1987 से 31.1.2011 तक (23 वर्ष 3 माह) तथा श्रीमति इंदिरा देवी ने 15.7.1992 से 28.2.2011 तक (18 वर्ष 7 माह 14 दिन) बिना किसी ब्रेक के पूर्ण सेवाएं दी थी। अतः अपेक्षित अभिलेख के अभाव में उन्हें अधिकतम 15 माह के लिए गए उपरोक्त भुगतान के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के साथ-साथ सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 स्टोर/स्टोक बारे

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टोक से सम्बन्धित अभिलेख के रख-रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं।

(क) स्टोर/स्टोक तथा अन्य रजिस्टर्स को **Inventory Register** में दर्ज न किए जाने बारे

विभिन्न रजिस्ट्रों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है, ताकि संस्था में प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न रजिस्ट्रों की सत्यता प्रमाणित की जा सके तथा संस्थान द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सभी रजिस्ट्रों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः संस्थान की सभी रोकड़ वहियों, स्टोर/स्टोक रजिस्ट्रों तथा अन्य विविध रजिस्ट्रों को Inventory Register में दर्ज कर के तथा उन पर Inventory Numbers लिख कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन (**Physical Verfication**) न करवाए जाने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3)5/2005 शिमला-171002, दिनांक 12.8.2009 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके अभाव से न तो स्टोर/स्टोक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारन (Disposal) किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचनाओं तथा मौखिक रूप से स्टोर/स्टोक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने

हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ-साथ इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

10 लघु आपत्ति विवरणिका

इस प्रकार की कोई भी विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

11 निष्कर्ष

लेखों में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

पृष्ठांकन संख्या प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :-

- (1) उप निदेशक जिला कल्याण विभाग, सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजे।
- (2) अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0प्र0 सरकार शिमला-2
- (3) निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-09